राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694–97

क्रमांकः एफ III (543)/रा.प्र.नि.मं./स्था./1404 दिनांकः 04-09-2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रिक्त पदों पर जारी विज्ञापन संख्या प0/01–2016/1134 दिनांक 14–07–2016 के क्रम में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा, 2016 में सफल घोषित किए गये रोल नम्बर 1814, श्री गोपाल सिंह गूर्जर, विशेष पिछड़ा वर्ग, जन्म तिथि 20–06–1995 को कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प07(2)कार्मिक/क–2/15पार्ट दिनांक 22–5–2017 के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय कें सिविल अपील संख्या 1464–12466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टल गुरविन्दर सिंह व अन्य के निर्णय के दृष्टिगत पूर्णतया अस्थाई (Purely Provisional) आधार पर नियुक्त अस्थाई (temporary) रूप से स्थाईकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं होने की शर्त पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी (कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता) के रूप में उपस्थिति दर्शाने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 21 के साथ संलग्न सूची चतुर्थ में उल्लेखित रूपये 13,200/– प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर, उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता हैं। इनकी नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय कें सिविल अपील संख्या 1464–12466/2017 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही हैं:–

1 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13–3–2006 तथा अधिसूचना क्रमांक प014(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 8–6–2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

2 विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही नियुक्ति पद पर कार्यग्रहण कराया जायेगा।

3 अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ चरित्र प्रमाण पत्र के मण्डल द्वारा संतोजनक पाये जाने के अध्यधीन होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र में चरित्र प्रमाणीकरण संतोषजक नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेंगे।

4 अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है जो परीक्षा में आवेदन पत्रों के प्रारूप में अंकित की गई है और जिन्हें सम्यक सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।

5 अभ्यर्थी को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार पे बेण्ड रूपये 9300–34800 एवं ग्रेड पे 3600/– एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

6 परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि एवं कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

7 अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व परिविक्षाकाल में नियत वेतन (fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित में प्रस्तुत करनी होगी।

8 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु मण्डल द्वारा इन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

9 यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यार्थियों की नियुक्तियाँ, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों/उपबन्धों एवं और अपेक्षाओं के सम्बन्धित सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

10 यदि राज्य मण्डल की राय में किसी कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता का परिवीक्षाकाल में कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया या ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के कार्य में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसे अविलम्ब पद से सेवा मुक्त (DISCHARGE) किया जा सकेगा।

11 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

12 उक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाता एवं मण्डल की लिखित अनुमति से एक माह में भी अपनी उपस्थिति रिपोर्ट नहीं देता है और न ही किसी प्रकार की सूचना प्रेषित करता है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

13 नियुक्ति के पश्चात् भी किसी बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को विधि सम्मत मान्यता नहीं होने की स्थिति में उसके द्वारा जारी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी खामियॉ पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

14 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के पद पर सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूँगरी, जयपुर-302017 के कार्यालय में दिनांक 18-09-2017 को प्रातः 9-30 बजे अपनी उपस्थिति दर्शानी होगी एवं उपस्थिति रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगे :-

(1) अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व परीविक्षाकाल में नियत वेतन (fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित में प्रस्तुत करनी होगी।
(2) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं हैं।
(3) महिला अभ्यर्थी को उसने ऐसे पुरूष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है।
(4) विवाहित अभ्यर्थी उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।
(5) अविवाहित अभ्यर्थी वे विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करेगें।
(6) दिनांक 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे नहीं हुए हैं।
(7) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति
(8) जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित छाया प्रति।
(9) मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
(10) (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट) चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र मूल।
(11) जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल।
(12) धुमपान/गुटका नहीं लेने का शपथ पत्र।
(13) आधार व पैन नम्बर की छाया प्रति

sd/-
(के॰ सी॰ ए॰ अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ III(543)/रा.प्र.नि.मं./स्था./1404 दिनांकः 04-09-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर।
2 निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।
3 अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।
4 कार्यालयाध्यक्ष, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।
5 आहरण एवं वितरण अधिकारी, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।
6 श्री गोपाल सिंह गूर्जर पुत्र श्री हरिसिंह गूर्जर, ग्राम पाडलीबद, पोस्ट कलवान, दौसा-303508 (राज0)
7 कार्यालय प्रति/व्यक्तिगत पत्रावली

(एस॰एन॰मीणा)
कार्यालयाध्यक्ष